

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 44/24 प्रा.पत्र

1- श्री अजय कुमार सो. श्री चैलाश-चन्द्र खानर निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोपाल सो. श्री उगमा भील निवासी- गांग्रा कारवेड़ा माण्डल तहसील- माण्डल

2- श्री व्यासचन्द सो. श्री श्रीराम गाडरी निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल

- विपक्षीगण

3- राजस्थान राज्य जलरिए तहसील- माण्डल तहसील- माण्डल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 12.4.24

:: आदेश ::

प्रार्थी श्री ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 2745/1876 कुल किता 01 रकबा 1.0623 हैक्टियर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 2745/1876 कुल किता 01 रकबा 1.0623 हैक्टियर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक गुडरिया को 600/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नही की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
माण्डल